निर्देश मकानों की संख्या की गणना 1 से 30 मई तक होगी

जनगणना प्रक्रिया को लेकर लोगों को करें जागरूक : कलेक्टर

नवभारत, शहडोल । कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की उपस्थिति में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना के कार्य के लिये दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में सम्पन्न हुआ। कलेक्टर ने प्रशिक्षण में सम्बोंधित करते हुए कहा कि जनगणना कार्य में संलग्न चार्ज अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज अधिकारी एवं ऑपरेटर प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारियो को ध्यानपूर्वक आत्मसात करें, जिससे आगामी दिनों में होने वाली जनगणना कार्य सरलता एवं सहजता के साथ पूर्ण हो सके। उन्होंने बताया कि जनगणना का प्रथम चरण 1 मईसे 30 मई तक आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। जनगणना 2027 का दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान डायरेक्टर जनजणना श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में संपादित किया जाना है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य मध्यप्रदेश राज्य में 01 मई से 30 मई 2026 की अवधि में किया जाना है जिसकी अधिसूचना मध्यपदेश के राजपत्र दिनांक 23 जनवरी 2026 में प्रकाशित की गई है। उन्होंने बताया कि मकानों को नंबर देने और मकानसूचीकरण एवं मकानसूचीकरण अनुसूची की समीक्षा से संबंधित जनगणना कार्यों को पूरा करने के लिए एक प्रगणक को आबंटित विशिष्टि क्षेत्र है। किसी भी ढांचे/भवन को नहीं छोड़ना चाहिए, मकानसूचीकरण ब्लाक सीमाओं के भीतर बिखरी हुई हुई बस्तियों या अलग-अलग भवनों को शामिल करने के लिए अत्याधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। सामान्य रूप से सामान्य और संस्थागत परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों की गणना की जानी है। सामान्य रूप से सामान्य और संस्थागत परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों की गणना की जानी है, सामान्य निवासियों की गणना की जानी है, भले ही उनमें से कुछ, मकानसूचीकरण के दिन अनुपस्थित हों, आकस्मिक आगंतुकों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अपने सामान्य निवास स्थान पर गणना योग्य माना जाएगा, राजनयिक दर्जा रखने वाले विदेशियों और उनके परिवार के सदस्यों को सम्मिलित नही किया जाना चाहिए, मकानसूचीकरण के लिए रक्षा के तहत निषिद्ध क्षेत्रों (स्पेशल चार्ज) को शामिल नहीं किया जाएगा, भवन नंबर का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि मकानसूचीकरण ब्लाक में स्थित प्रत्येक भवन और जनगणना मकान को क्रम से नंबर दिये गए हों, एक मकानसूचीकरण ब्लाक में कई सड़कें शामिल हैं, सड़कों के पार भवनों को लगातार क्रमांकित किया जाना चाहिए, उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व तक सड़कों को एक समान क्रम में लिया जाना चाहिए, सड़क के एक तरफएक ही निरंतर क्रम के साथ आगे बढ़ें और उस तरफनंबर डालने का काम पूरा करें, फिर सड़क के दूसरी तरफके आखिरी सिरे पर जाएँ और उसी क्रम को जारी रखें, जहां से नंबर देना प्रारंभ किए थे उसके विपरीत सामने नंबर देना बंद करें, कोई भवन बिना नंबर वाला पाया जाता है या 10 और 11 नंबर के भवनों के बीच एक नया भवन बन गया है, तो नए भवन को 10/1 के रूप में नंबर दिया जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि भवन संख्या 10 के बाद एक अलग भवन बन गया है।

उन्होंने कहा कि जनजणना कार्य के लिए लिए स्कूलो, कॉलेजो एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में गतिविधियो का आयोजन कर लोगो को जागरूक करें जिससे जनगणना प्रक्रिया सरल, सहज और पारदर्शी हो सकें। प्रशिक्षण के दौरान बताया कि प्रगणक द्वारा आवंटित की गई भवन संख्या को भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर या भवन के किसी प्रमुख स्थान पर लिखा जाना चाहिए, जिसके साथ कोष्ठक में जनगणना मकानों की संख्या भी दी जानी चाहिए। एचएलओ मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदान किया गया चार अंकीय जनगणना मकान नंबर प्रत्येक जनगणना मकान के प्रवेश द्वार पर लिखा जाना चाहिये। इसी प्रकार प्रशिक्षण अन्य विषयों पर विस्तृत जानकारियो से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर एवं जिला गणना अधिकारी सरोधन सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमृता गर्ग, जनगणना अधिकारी गिरीश शुक्ला सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

नवभारत, शहडोल । महिला थाना शहडोल में दर्ज एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन के आधार पर आरोपी राजकुमार सोनी, पिता बलराम सोनी, निवासी ग्राम लेदरा, थाना गोहपारू, जिला शहडोल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। आवेदन में बताया गया कि आरोपी वर्ष 2023 से विवाह का झांसा देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब भी फरियादिया ने विवाह के लिए दबाव बनाया, आरोपी टालमटोल करता रहा। बताया गया कि 15 फरवरी 2026 को शिवरात्रि के अवसर पर भी आरोपी फरियादिया के किराये के कमरे, शहडोल पहुंचा और विवाह से इंकार करने के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। अगले दिन 16 फरवरी 2026 को जब फरियादिया ने दोबारा शादी की बात की, तो आरोपी ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोहपारू थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजकुमार सोनी (44 वर्ष) को 20 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त कार्रवाई उप पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी (महिला सुरक्षा, शहडोल) के नेतृत्व में की गई। इस दौरान सउनि थाना प्रभारी इंचार्ज भागचंद, आरक्षक अमृत लाल यादव, आरक्षक अमर सिंह एवं आरक्षक गुरु दयाल उइके की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

सिंहपुर मंदिर की चोरी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

नवभारत, शहडोल । दिनांक 17 फरवरी 2026 को फरियादी प्रकाश सिंह तोमर (40 वर्ष), निवासी ग्राम भानपुर ने थाना सिंहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 फरवरी 2026 की दरमियानी रात अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम भानपुर स्थित महामाया मंदिर एवं दुर्गा मंदिर से सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध बी.एन.एस. की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने सतत प्रयास एवं मुखबिर सूचना के आधार पर संदेहियों की तलाश की। जांच के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। जिसमें पुष्पेन्द्र उर्फअमन (25 वर्ष), पिता विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी खैरहा एवं मोहम्मद अहेद रजा (19 वर्ष), पिता सहाबुद्दीन रजा उर्फसिंहपुरिया, निवासी खैरहा से 03 जोड़ी चांदी की पायल, करधन 01 नग, मुकुट 01 नग, वेंदी 03 नग, आंख (मूर्ति आभूषण) 01 नग, चांदी के टुकड़े 03 जोड़ी, मोटरसाइकिल (एच.एफ डिलेक्स), सीसीटीवी पैनल 01 नग, बरामद सामग्री की कुल अनुमानित कीमत लगभग 96,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने मशरूका विधिवत जप्त कर 21 फरवरी 2026 को आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक एम.एल. संहगडाले के नेतृत्व में सउनि लोलर प्रसाद मिश्रा, सउनि शुभवंत चतुर्वेदी, प्रधान आरक्षक सत्यनारायण पाण्डेय, प्रधान आरक्षक देवेंद्र पाण्डेय, प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह, आरक्षक हीरालाल महरा एवं आरक्षक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

वृद्धाश्रम कल्याणपुर में आयोजित किया गया मेडिकल कैम्प एवं विधिक जागरूकता शिविर

नवभारत,शहडोल । सदस्य सचिव म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सुमन श्रीवास्तव एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के.एन.सिंह की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संभागीय मुख्यालय शहडोल के कल्याणपुर स्थित वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से नि:शुल्क चिकित्सकीय जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में वृद्धाश्रम में निवासरत 8 वृद्धजनों एवं क्षेत्रीय 24 अन्य वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार उपरांत नि:शुल्क दवाईयों का वितरण किया गया। इस अवसर पर वृद्धजनों को फ्ल एवं अन्य खाद्य साम्रगियां भी वितरित की गईं। कार्यक्रम में वृद्धजनों से उनके स्वास्थ्य एवं पोषण आहार के संबंध में जानकारी ली गई। शिविर में नालसा वरिष्ठ नागरिक योजना 2016 व माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत पैरालीगल वॉलेंटियर्स के माध्यम से उक्त योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र व योग्य वृद्धजनों को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक कर वृद्धाश्रम में उनके पुर्नवास के संबंध में व्यापक प्रयास किये जाने के निर्देश दिए गये।

इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते, चीफडिफेंस काउंसिल कुंज बिहारी द्विवेदी, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल अंकिता सिंह एवं जिला चिकित्सालय से डॉ. किशोर सिंह एवं नर्सिंग स्टाफव वृद्धाश्रम एवं प्राधिकरण कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहे।

मनोज सिंह आर्मो बने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष

▶ शुभचिंतकों ने मिठाई खिलाकर दी बधाई

नवभारत, शहडोल । भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनुसूचित जनजाति मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह टेकाम द्वारा 19 फरवरी 2026 को जारी आधिकारिक सूची में शहडोल के वरिष्ठ नेता एवं अनुभवी कार्यकर्ता मनोज सिंह आर्मो को प्रदेश उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह घोषणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से की गई है। मनोज सिंह आर्मो की नियुक्ति को उनकी वर्षों की संगठनात्मक निष्ठा और सक्रियता का सम्मान माना जा रहा है। वे एलएल.बी. और एलएल.एम. शिक्षित हैं तथा वर्ष 2005 से 2015 तक ग्राम पंचायत उचेहरा के सरपंच रहे। सरपंच संघ के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने प्रभावी नेतृत्व दिया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री, शहडोल के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। संगठन में उनकी पकड़ और जनजातीय समाज के बीच उनकी सक्रिय उपस्थिति को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है।

सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा सफर

राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ मनोज सिंह आर्मो सामाजिक क्षेत्र में भी निरंतर सक्रिय रहे हैं। 'जनजातीय सुरक्षा मंच' के माध्यम से समाज के अधिकारों और सुरक्षा के मुद्दों पर उन्होंने कार्य किया, वहीं 'जन सुविधा केंद्र' एनजीओ के जरिए जनजागरूकता और सेवा गतिविधियों को आगे बढ़ाया। कोरोना काल में उन्होंने जिला कोविड प्रभारी के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं दीं, जिसकी व्यापक सराहना हुई थी। उनकी नियुक्ति की खबर मिलते ही शहडोल, जयसिंहनगर और पूरे संभाग में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है। समर्थकों का कहना है कि प्रदेश स्तर पर उनकी मजबूत उपस्थिति से जनजातीय वर्ग की समस्याओं को प्रभावी आवाज मिलेगी और संगठन को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। बधाई देने वालों में एडवोकेट ज्ञानेन्द्र मिश्रा, अरूणेन्द्र तिवारी, ब्रजेश सिंह, सुनील मिश्रा, अजय शर्मा, शेखर खान, प्रकाश त्रिपाठी, बादल सोनी, देवेस पाण्डेय, अंकित मिश्रा, दीपक केवट और राहुल नामदेव प्रमुख रूप से शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा की यह नई कार्यकारिणी आगामी समय में संगठनात्मक विस्तार, जनसंपर्क अभियान और जनजातीय समाज के मुद्दों को प्रदेश स्तर पर मजबूती से उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में 11750 मतदाताओं की बढ़ोतरी

▶ जिले में कुल 1034 मतदान केन्द्र एवं 760743 मतदाता

नवभारत, शहडोल । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के सम्पन्न होने के पश्चात जिले की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमृता गर्ग ने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि जिले में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1034 है। विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी में मतदान केन्द्रों की संख्या 273 है। कुल मतदाताओं की संख्या 268273 है, जिसमें पुरूष मतदाओं की संख्या 140082 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 128190 है। अन्य मतदाता की संख्या 01 है। जेण्डर रेशियो 915.10 तथा ईपिक रेशियो 67.50 प्रतिशत है। विधानसभा क्षेत्र जयसिंहनगर में मतदान केन्द्रों की संख्या 330 है। कुल मतदाताओं की संख्या 252581 है, जिसमें पुरूष मतदाओं की संख्या 127913 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 124662 है। अन्य मतदाता की संख्या 06 है। जेण्डर रेशियो 974.58 तथा ईपिक रेशियो 63.11 प्रतिशत है। विधानसभा क्षेत्र जैतपुर में मतदान केन्द्रों की संख्या 331 है। कुल मतदाताओं की संख्या 239889 है, जिसमें पुरूष मतदाओं की संख्या 122051 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 117834 है, अन्य मतदाता की संख्या 04 है। जेण्डर रेशियो 965.44 तथा ईपिक रेशियो 56.76 प्रतिशत है। इस प्रकार जिले में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन एवं विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के पश्चात जारी अंतिम मतदाता सूची में 11750 मतदाताओं की बढ़ोत्तरी हुई जिसमें पुरूष मतदाताओं की 5475, महिला मतदाताओं की 6094 तथा 01 अन्य मतदाता की बढ़ोत्तरी हुई है।प्रेस कान्फ्रेंस में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, निर्वाचन सुपरवाइजर संजय खरे, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि विष्णुप्रताप सिंह, अरफना बेगम एवं शहडोल जिले के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के संवाददाता उपस्थित रहे।

योग वैलनेस सेंटर में योग सत्र आयोजित, सैकड़ों महिलाओं ने की शिरकत

योग से मातृशक्ति कर रही हैं आंतरिक शक्ति का विकास : योगाचार्य शिवाकान्त

नवभारत,शहडोल । भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का रूप माना गया है, और आज के आधुनिक युग में योग वह माध्यम बन रहा है जिससे महिलाएं अपनी इस आंतरिक शक्ति को पुन: जागृत कर रही हैं। यह विचार प्रसिद्ध योगाचार्य शिवाकान्त शुक्ला ने शिवजी योग थैरेपी एवं वैलनेस सेंटर में आयोजित योग सत्र के दौरान व्यक्त किए।

तनाव मुक्ति और सामंजस्य

योगाचार्य जी ने आधुनिक जीवनशैली की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि आज की नारी घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। ऐसे में मानसिक तनाव और थकान होना स्वाभाविक है। योगशक्ति के माध्यम से महिलाएं अपने भीतर उस ऊर्जा का संचय कर रही हैं, जो उन्हें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहने में मदद करती है। उन्होंने विशेष रूप से प्राणायाम और ध्यान के महत्व को रेखांकित किया, जो आत्मिक शांति के मुख्य स्तंभ हैं।

समाज निर्माण में भूमिका

योगाचार्य ने कहा कि एक सशक्त और स्वस्थ महिला ही एक सशक्त समाज की नींव रख सकती है। योग के जरिए जब मातृशक्ति का आत्मबल बढ़ता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। सत्र में उपस्थित मातृशक्तियों ने योगाचार्य के मार्गदर्शन में विभिन्न आसनों का अभ्यास किया और संकल्प लिया कि वे योग को अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएंगी।इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में योग साधक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना के साथ हुआ।

आत्मबल का आधार है योग

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगाचार्य शिवाकान्त शुक्ला ने कहा कि मातृशक्ति योगशक्ति से अपने आत्मशक्ति का विकास कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा के मिलन का विज्ञान है। जब एक महिला योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाती है, तो न केवल उसका स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि उसके निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक दृढ़ता (आत्मशक्ति) में भी अभूतपूर्व वृद्धि होती है।

रमज़ान से जुड़े सवाल-जवाब : मोहम्मद तौफीक़ अहमद मिस्बाही

नवभारत, शहडोल । रमज़ान के पाक महीने में रोज़ेदार रोज़े रख रहे हैं। इनमें से अनेक रोजेदार ऐसे है। सुबह जल्दी उठ कर इबादत करते हैं लेकिन अनेक बार नियमों को लेकर असमंजस में रहते हैं जिससे उनको अपना रोज़ा टूटने का डर लगा रहता है इसके समाधान के लिए मोहम्मद तौफीक़ अहमद मिस्बाही ने सवालों के जवाब में बताया कि

सवाल - रोज़ा का मकसद क्या है?

जवाब - रोज़ा का असल मकसद तकवा पैदा करना है अल्लाह ताला ने कुरआन में फरमाया: ऐ ईमान वालों ! तुम पर रोज़ा फर्ज़ किया गया है ताकि तुम परहेज़गार बनो । (सूरह बकरह 182) यानी रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है बल्कि अपने दिल, जबान,और किरदार को गुनाहों से बचाने की ट्रेनिंग है।

सवाल - क्या रोज़ा सिर्फखाना पीना छोड़ने का नाम है?

जवाब - नहीं बल्कि अपने आपको परहेजगार बनाने का नाम है पैग़म्बरे इस्लाम सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: ''जिसने झूठ बोलना और बुरे काम से बाज़ न आया '' अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं ।

सवाल -रोज़ा गरीबों का एहसास कैसे दिलाता है ?

जवाब - दिन भर भूखा रहकर इंसान को उन लोगों की तकलीफका अंदाज़ा होता है जो मज़बूरी में भूखे रहते हैं । इस से दिल में रहम और सदका करने का जज़्बा पैदा होता है।

सवाल - हदीस में रोज़े की फ़ज़ीलत क्या है ?

जवाब - सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया: रोज़ा ढाल है यानी यह जहन्नुम और गुनाहों से बचाने वाली हिफ़ज़ती ढाल है।

सवाल - क्या रोजे का बदला अलग तरीके से मिलता है।

जवाब - हदीसे कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा इससे मालूम होता है की रोज़े का सवाब बे हिसाब है ।

सवाल - रोजेदार के लिए जन्नत में क्या इनाम है ?

जवाब - पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहो ताला अलेही वसल्लम ने इरशाद फरमाया के जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रय्यान है उसमें से सिर्फरोज़ेदार ही दाखिल होंगे ।

सवाल - क्या रोज गुनाहों की माफी का जरिया है ?

जवाब - जी हां हदीस में है जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह माफकर दिए जाते हैं।